SHRI S. S. AHLUWALIA : What about these 100 days ?

PROF. MADHU DANDAVATE: If honourable Members want to have a break-up for these 100 days as to how many searches have been conducted, I will lay that figure on the Table of the House. I have given the entire figures. For the 100 days I will lay it on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN: He will lay it on the Table of the House. He requires notice for it.

PROF. MADHU DANDAVATE : I don't need notice for it. I take this as notice and I shall lay it on the Table of the House.

RBI Governor's Suggestion to Government on Waiving of Farm Loans

*42. DR. RATNAKAR PANDEY :†
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governor of Reserve Bank of India has written to Government against generalised waiver of farm loans ;

(b) whether it is also a fact that waiving of loans to poorer sections upto Rs. 10,000/- will result in loss of Rs. 14,000 crore to the banking industry ;

(c) if so, the manner in which banking industry is proposed to be helped to meet this deficit ; and

(d) what is the exact amount of loan expected to be written off against the farmers by each bank during the current year ?

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Ratnakar Pandey.

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) to (d) The precise estimates of the amounts involved and the modalities for implementing the Scheme relating to debt relief to farmers are being worked out. Consultations are taking place with the Reserve Bank of India/NABARD in working out the modalities, and these discussions can not be disclosed on this stage.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, यह खुली सरकार है और खुली सरकार के वित्त मंत्री का गुप्त उत्तर अभी प्राप्त हुआ है । मैं नहीं समझता हूं कि डिफेंस से संबंधित कोई रहस्यमय मामला है । इस सरकार के जनता के बीच में चुनाव लड़ने वाले संयुक्त मोर्चे ने घोषणा की थी कि दस हजार रुपये के कर्ज माफी हम करेंगे और उस पर रिजर्व बैंक ने...

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी भाई, वह तो देवी लाल ने किया था ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय :... आपत्ति उठाई है । रिजर्व बैंक कोई प्राइवेट एजेंसी या कनसर्न नहीं है, बल्कि भारत की जनता की धनराशि से निर्मित सब से बड़ी हमारी टकसाल है और रिजर्व बैंक इस पर आपत्ति कर रहा है । ग्रामीण विकास बैंक के साथ, माननीय मंत्री जी, विचार-विमर्श कर रहे हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि दस हजार रुपये कर्ज माफी हेतु, वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में क्या कि सी कमेटी का गठन किया गया था वह कमेटी अभी तक किसी नतीजे और नहीं पहुंच सकी है कि कर्जे की पर कितनी राशि किस रूप में म कुल जानी चाहिए और अभी तक वि फ की ने क्या कार्यवाही की है ? कमेटी

जब जनता के बीच चुनाव लड़ते समय मुख्य मंत्रियों ने और आपने घोषणा की कि हम दस हजार रुपये की कर्ज माफी करेंगे, तो इस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो किसानों से जुड़ा हुआ है, आज तक आपने निर्णय नहीं लिया है और जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है कि विचार-विमर्श को प्रकट नहीं किया जा सकता । तो किस तरह की आपकी खुली सरकार है, जो कोई भी उपाय इसके लिए नहीं कर पा रही है और रिजर्व बैंक की क्या दिक्कत है--रिजर्व बैंक का लैटर सदन के सामने रखने में और क्या विचार-विमर्श हुआ है ?

इसके साथ ही सभापति जी, मैं यह जानना चाहूंगा कि 20 दिसम्बर, 1989 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कहा था कि आगे सरकार दस हजार रुपये तक के कर्जे को माफ करवाने की घोषणा एक तरह से की गई थी और मोर्चा सरकार की सरकारी नीति का यह रूप है और क्या इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरी सरकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को दस हजार रुपये का कर्ज है या इस देश का जो भी नागरिक सरकार से दस हजार कर्जा कोटि-कोटि जनता अभी नहीं लिये है, उन सब को क्या सरकार कर्ज देने की व्यवस्था, घोषणा कर रही है, कोई नीति निर्धारित कर रही है और दस हजार रुपया जिन लोगों पर कर्ज है उसको माफ करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं।

यह इस तरह से नहीं टाला जाए कि विचार-विमर्श को प्रकट नहीं किया जा सकता । आपकी खुली सरकार है, गोपनीयता में उतना ही विश्वास करिए, जितना करना चाहिए। इसका स्पष्ट उत्तर सदन को चाहिए ।

प्रो० मधु दंडवते : सभापति जी, माननीय सदस्य के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । सब से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि जो समिति गठित की थी और इस समिति ने जो सिफारिशें तय कीं, उसके आधार पर हमने कर्ज-माफी के सिलसिले में फैसला किया है ।

नं० 2 यह फैसला करने के बाद कर्ज माफी के कार्यक्रम के लिए कितनी राशि उपलब्ध की जाएगी, यह हमारे बजट अंतर्गत है और आज मैं इस सदन में आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि 19 तारीख के बजट के समय जब काफी तफसील हम आपके सामने रखेंगे, तो न सिर्फ कर्ज-माफी की तफसील रखेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए कितनी राशि हम लोगों ने उपलब्ध की है, यह सारे दस्तावेज आपके सामने आयेंगे और जो वादा हम लोगों ने सिर्फ मतदाताओं को ही नहीं, लेकिन राज्य सभा और लोक सभा के सामने किया था और जिसका जिक्र हमारे राष्ट्रपति जी ने किया था, उसका पूरा पालन हम करेंगे, यह यकीन मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूं ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर का पत्र क्या था ? वह पब्लिक डाकूमेंट है। उसे सदन के सामने रखा जाए । वह आपके बजट से संबंधित नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मांग की है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो पत्र हमें भेजा है जिसमें उन्होंने कर्ज माफी के सवालों के बारे में अपनी कोई राय नहीं सिर्फ सुझाव दिए हैं । यह पत्र सदन के सामने रखने का रिवाज नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हमारे सामने सुझाव रखे हैं उन पर हम लोगों ने विचार किया है, समिति ने विचार किया है, उस पर फैसला किया है और उसका जिक्र हम बजट के समय करेंगे ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महोदय, मैंने उसी से सम्बन्धित प्रश्न पूछा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसानों ने बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा लिए गए कर्जों का भुगतान सरकार की कर्ज माफी की घोषणा के बाद बंद कर दिया है और क्या जनवरी, 1990 में देश के 8 मुख्य मंत्रियों ने एक ज्ञापन द्वारा इस बारे में केन्द्रीय सरकार से अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की थी ? अगर की थी तो मुख्य मंत्रियों के ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्यों ने 8 चीफ मिनिस्टर्स का सवाल उठाया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने प्रधान मंत्री को एक खत भेजा था। उन्होंने स्वागत किया था इस कार्यक्रम का कि 10 हजार रूपए तक जिन्होंने कर्जे लिए हैं वे माफ किए जाए और आगे चलकर उन्होंने सुझाव दिया था कि सारे हिंदुस्तान में 7 दिन के अंदर यह कर्जे माफी का कार्यक्रम अमल में लाना चाहिए। मैंने 8 चीफ मिनिस्टर्स को वित्त मंत्री की हैसियत से प्रधान मंत्री के कहने पर जवाब दिया था। उसमें मैंने कहा था कि लोक सभा का चुनाव जब आप लड़ें तो आपके चुनाव घोषणा-पत्र में कर्ज माफी का कार्यक्रम न होते हुए भी हमारा कार्यक्रम आपने मान लिया, इसके लिए सबसे पहिले आपको धन्यवाद देता हूं और दूसरी बात यह कही थी कि आप जानते हैं क्योंकि आप प्रशासन चलाते हैं कि सात दिन के अंदर सारे हिंदुस्तान में कर्ज माफ करने का कार्यक्रम अमल में नहीं लाया जा सकता है ! लेकिन हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और सिर्फ आपका सुझाव... (व्यवधान)

श्री मोर्जा इर्शादबेग : आपको तो सौ दिन मिले हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : सौ दिन में सारे हिंदुस्तान की कर्ज माफी हो सकती है, बजट के पहले ।... (व्यवधान)... मैं जानता हूं कि यह सवाल पूछते समय उन्हें भी मालूम है कि वे सवाल क्या पूछ रहे हैं ? लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सात दिन के अंदर हिंदुस्तान आजाद हुआ तब ... (व्यवधान)...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : ... (व्यवधान) ...व्यवस्था दूषित हो जाएगी, अर्थ व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसको आप छिपा रहे हैं सदन से।

प्रो० मधु दण्डवते : हम छिपा नहीं रहे है। अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त होगी या नहीं, यह आप हमारा बजट पेश करने के बाद जवाब दीजिए। अगर सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। अगर यह सवाल उस वक्त पूछते और बजट के जरिए हम लोग जो तफसील रखेंगे, उससे अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी, अगर यह आप साबित कर सकते हैं तो आपके इल्जाम का जवाब हम उस वक्त जरूर देंगे।

एक माननीय सदस्य : आपको जवाब जनता देगी।

प्रो० मधु दण्डवते : हम भी जनता से चुनकर आए हैं, हम नोमीनेट होकर नहीं आए हैं।... (व्यवधान)...

श्री सभापति : श्री एस० पी० मालवीय। आप ऐसे जवाब देने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। कोई खड़ा हुआ और आपने यहां से जवाब सवाल शुरु कर दिए तो मुश्किल होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदया, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि जनता को जवाब देना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य को इतना ही बताना चाहता हूं कि जैसे आप सदन में चुनकर आए हैं वैसे दूसरे सदन में मैं भी चुनकर

आया हूं । मैं नोमीनेटेड सदस्य नहीं हूं ।...(**व्यवधान**)...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, राष्ट्रीय मोर्चा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों और शिल्पकारों द्वारा 2 अक्तूबर, 1989 के पूर्व लिए गए 10 हजार रुपए तक के कर्जे माफ किए जाएंगे । माननीय वित्त मंत्री प्रोफेसर दण्डवते ने जो उत्तर दिया है, उससे भारत के एक मतदाता की हैसियत से मैं आश्वस्त हूं । लेकिन ये चुनाव घोषणा-पत्र को कार्यान्वित करने का काम पूरा किया जाए । इस संबंध में मेरा एक सवाल है कि राज्य सरकारों को क्या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश दिए गए हैं ? यदि दिए गए हैं तो वे क्या हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने मेरे पत्र में सारे राज्यों के मुख्य मंत्रियों से प्रार्थना की थी कि ...(**व्यवधान**) ....

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदय, इन्होंने यह जो शब्द प्रयोग किए हैं राज्य सभा के सदस्यों ...(**व्यवधान**)...हम भी 40 एम०एल० एज० का वोट लेकर आते हैं । ...(**व्यवधान**)...इस तरह से राज्य सभा के सदस्यों का अपमान करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है । ...(**व्यवधान**)...ये इसे विदड्रा करें । ...(**व्यवधान**)...

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, मैंने न सदन का अपमान किया है, न उनका किया है । मैंने कहा कि जैसे आप चुन कर आए हैं, तरीका अलग होगा, ऐसे मैं भी चुनकर आया हूं । ...(**व्यवधान**)...आप सारे रिकार्ड देख लीजिए । ..(**व्यवधान**)..

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : हम भी चुनकर आए हैं । ..(**व्यवधान**)...

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, किसी सदन के सदस्य का अवमान करना, यह मेरा तरीका कभी रहा नहीं और आगे चलकर भी कभी नहीं रहेगा । मैंने कहा—जैसे आप चुनकर आए हैं मैं भी चुनकर आया हूं । ...(**व्यवधान**)...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : आपको जनता ने चुना है तो हमें भी चालीस एम० एल० एज० ने चुना है । ...(**व्यवधान**)...

श्री मीर्जा इर्शाद बेग : नहीं, अगर नॉमिनेटिड सदस्य के लिए भी आपने कहा है तो यह सही नहीं है । मंत्री जी, आप तो सीनियर, हैं, अगर आपने नॉमिनेटेड भी कहा हैं तो वह नहीं कहना चाहिए था ।

प्रो० मधु दण्डवते : यहां जनता का जिक्र किया, इसलिए मैंने कहा—वही जनता की तरफ से हम चुनकर आए हैं । ...(**व्यवधान**)...

श्री मीर्जा इर्शाद बेग : आपने कहा कि नॉमिनेटेड नहीं हूं ; that means, those who are nominated. You cannot cast aspersions against them. It is not good. You are a senior Member of Parliament. (*Interruptions*).

PROF. MADHU DANDAVATE : Listen to me. I will respond to you. (*Interruptions*). I will respond to you. Mr. Chairman, Sir, if anybody feels hurt by me saying -----because I never throw out Parliamentary practice—that I am elected and not nominated, by implication if they feel that I am insulting Nominated Members of this House, I would express my regrets. I would express my regrets (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : Now nothing else.

PROF. MADHU DANDAVATE : Sir, in the best Parliamentary traditions, I would express

my regrets to the Nominated Members of the House because I have no desire to cast any aspersions on them.

MR. CHAIRMAN : You must appreciate his unconditional regrets. What more can you expect? Now, Dr. Jagannath Mishra.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : सभापति जी, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । अभी पढ़ ही रहे थे कि बीच में वे हल्ला करने लगे । मेरा प्रश्न यह था कि इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिया गया है या नहीं ? अगर दिया गया हैं तो वह क्या हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, मैं बता रहा था, शायद उन्होंने सुना नहीं कि जब मुख्यमंत्रियों ने एक बयान दे दिया और प्रधानमंत्री जी को खत भी लिखा तो मैं चंद मंत्रियों को मिला हूं और सभी साथियों को पत्र लिखा है । लेकिन कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए कई विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित किए हैं, हमने तो दस हजार रुपए तक कर्जे माफ करने की बात की है, लेकिन चंद विधानसभाओं ने कहा कि बारह हजार रुपए तक माफ करो, किसी ने कहा है कि पन्द्रह हजार रुपए तक माफ करो और एक विधानसभा ने तो कहा कि सोलह हजार रुपए तक माफ करो । इसलिए मैंने कहा कि आप और हम इकट्ठे बैठकर बात करें कि किस तरह से इस चीज को अमल में लाना है और इसमें सिर्फ समर्थन न करें बल्कि संसाधनों की भी मदद कीजिए, वह भी मैंने प्रार्थना उनसे की है ।

डा० जगन्नाथ मिश्र : सभापति जी, मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने बिहार में पन्द्रह हजार रुपये तक के सभी कर्जे माफ कर दिए हैं, आदेश कर दिए हैं और भारत सरकार से प्रतिपूर्ति की मांग की है और साथ ही साथ बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया था कि यह जो 692 करोड़ रुपए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को विभिन्न बैंकों की ओर से दिए गए हैं, उनको पूरा माफ कर दिया जाय और इसकी सूचना वित्त-मंत्रालय को भी दे दी गई है । तो कर्जे माफी के बारे में जो निर्णय लिया जा रहा है सरकार की ओर से, उसमें इसे सम्मिलित किया जाएगा । क्या वित्तमंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि बिहार सरकार ने जो अपने स्तर से पन्द्रह हजार रुपए तक के कर्जे माफ कर दिए हैं, आदेश पारित कर दिए हैं, उसमें बिहार सरकार को प्रतिपूर्ति जाएगी, जो भारत सरकार का यह कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो आय करने जा रहे हैं उससे ? और साथ-साथ क्या भारत सरकार यह 692 करोड़ रुपए जो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के हैं, उन्हें भी इसमें सम्मिलित करेगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, यह तफसील का सवाल है, इसमें स्टेट्स और सेंटर का सवाल हैं । जिन्होंने कर्जे लिए हैं, चंद लोगों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जे लिए हैं, चंद लोगों ने कोपरेटिव बैंकों से लिए हैं, चंद लोगों ने रूरल रीजनल बैंकों से लिए हैं, जहां तक नेशनलाइज्ड बैंकों या रूरल रीजनल बैंकों का है, वह तो केन्द्र सरकार के अंतर्गत है और यह कोपरेटिव बैंक जो है, वहां की सरकार के तहत हैं इसलिए हमारी कोशिश यह होगी कि बिहार के, चाहे आपकी सरकार हो या नई सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वहां के नेताओं के साथ और मंत्रिमण्डल के साथ बैठकर हम उसका रास्ता निकालने की जरूर कोशिश करेंगे । यह नहीं करेंगे कि पुरानी सरकार ने कुछ काम किया है, उसको तोड़ना है, यह हमारी नीति कभी नहीं रही है ।

डा० जगन्नाथ मिश्र : एक सवाल सिर्फ ।

श्री सभापति : उन्होंने वायदा कर लिया कि वे इस पर विचार करेंगे ।

डा० जगन्नाथ मिश्र : बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि कोआपरेटिव बैंक के जो कर्जे हैं किसानों पर, उस पर जो सूद हुआ है और वह लगभग 92 करोड़ रुपए सूद के हैं । सूद के रुपए भी माफ किए जाएं और नाबार्ड से और रिजर्व बैंक की तरफ से बिहार की कोआपरेटिव संस्थाओं पर कोई फारमेलिटीज न लगाई जाएं आगे के रुपए माफ करने में, क्या भारत सरकार इस पर बिहार सरकार की सहायता करेगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, बराबर दो वर्ष से 10 हजार रुपए तक के कर्जे की माफी तक का एलान किया जाता है । सरकार ने कमेटी भी बनाई, कमेटी ने अपनी कोई रिपोर्ट भी दी है और जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि बजट में सारे मामले आएंगे, इसमें जनता को जानकारी मिलेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अब तक उस रिपोर्ट के आधार पर या अपने और किसी अध्ययन के आधार पर इस बात का पता लगाने का काम किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से, ग्रामीण बैंकों से कुल कितना रुपया 10 हजार रुपए कर्ज में आता है पूरे देश के पैमाने पर और उसमें से राज्यवार प्रत्येक राज्य का कितना अंश है ? यह हम जानना चाहते हैं मंत्री जी से ।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं लेकिन उसका ब्रेक-अप इस तरह का है कि आंकड़ा सीधा इसलिए नहीं दिया जाता है कि उसमें विलफुल डिफाल्टर्स कितने हैं । उसमें एक रेंज के मुताबिक 5 एकड़ वाले कितने हैं, 10 कड़ वाले कितने हैं ? अगर जमीन का विचार न करके हम लोन लें तो उसका कितना होगा ? 10 हजार लोन तक के बारे में भी दो राय हैं । चन्द लोग कहते हैं कि लोन कितना भी लिया हो, 50 हजार तक भी लिया हो, तो 10 हजार तक माफ होना चाहिए । तो इररेस्पेक्टिव दि साइज 10 हजार वाले कितने हैं ? आगे चलकर यह लोन के बारे में—शार्ट टर्म लोन होते हैं, लांग टर्म लोन होते हैं—आगे चलकर होम ड्यूज होते हैं, करन्ट ड्यूज होते हैं, इन सबका ब्रेक-अप अलग-अलग है और मैं माननीय सदस्य से यह विनती करना चाहता हूं कि मेरे पास 10–15 पन्ने के सारे स्टेटेसिज हैं, अगर आप मिल लें, मैं नहीं कहता कि मेरे चेम्बर में आ जाएं, मैं आपके चेम्बर में आऊंगा और यह सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास सारी डिटेल्स हैं ।

श्री राम नरेश यादव : महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार ने कोई टोटल लगाया होगा कोई उस का जोड़ लगाया होगा कि कुल कितना पड़ता है ?

श्री सभापति : किन-किन चीजों को जोड़ें, यह सवाल है ?

श्री राम नरेश यादव : जिन लोगों को 10 हजार कर्जे तक की माफी का एलान करते रहे हैं । ... **(व्यवधान)**..

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : Do you mean to say that it is for the Congress (I) to say what to add and what to suppress)

श्री राम नरेश यादव महोदय, प्रश्न यह है कि जिन लोगों के 10 हजार तक के कर्जे की माफी का एलान बराबर करते रहे हैं, उन लोगों का तो सरकार ने आज तक कोई हिसाब लगाया होगा ? इसलिए टोटल कितना आता है, यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं ?

SHRI MADHU DANDAVATE : Sir, I will give only one figure for the sake of simplicity. The total of short term and long term loans and up to Rs. 10,000 is, Rs. 2,842 crores and roughly it is 50 per cent from those which are co-operative banks and roughly 50 per cent from those which are taken from the nationalised banks and regional rural banks.

MR. CHAIRMAN : Mr. Ash Sen.

SHRI ASHIS SEN : Mr. Chairman, Sir, with the announcement of this waiver of loans, the big borrowers in the rural areas. .....

SHRI MADHU DANDAVATE : What I have said is only about overdues. If you take overdues and current dues, then the figures will be slightly more. This is VATE :3What I have said is only about overdu?I. If you take overdues and current du?s,th?n the figures will be sli7htly more. This is only about overdues, short loans, long loans and loans up to Rs. 10,000.

MR. CHAIRMAN : This is only about overdues.

SHRI ASHIS SEN : Mr. Chairman, Sir, with this announcement of the waiver of loans, the big borrowers in the rural areas, are instigating the pmaller borrowers that they need not pay back any loan to the regional rural banks or rural branches of the commercial banks with the result that a difficult situation as arisen wherein the recovery of loans has become a problem and these banks are not able to make fresh grants. That is why I would request the hon. Minister to make an announcement in this regard, or, issue some guidelines to the banks that the current lendings should not be affected so that the poor b orrowers can be benefited by the grant of loans by the regional rural banks and the rural branches of the commercial banks. GI would like to know from the Hon. Minister whether he would make such an announcement in this regard.

PROF' MADHU DANDAVATE.: Sir, I do share the fear that is exprersed by the hon. a Member. I must candidly admit that after the Centre as well as the States took up this issue of waiver of loans, in the last two months, the r?vcovery of loans by the variousbanks— whether they are only co-operative bank at the district level or branches of the nationalised banks at the rural level ———had suffered a lot and that is the reason why wea want to take a decision on this once and for all so that there will be no uncertainty as far as recovery is concerned because we do not want the credibility of the banking institutions to suffer ; we also do not want the rcccvery to suffc:. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : Question No. 43.

Tourism Policy

*43. SHRI RAOOF VALIULLAH : Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government are considering a long-term policy for domestic and international tourism and if so, what are the parameters and considerations for the same

(b) whether different ministries are being consulted and if so, the report submitted by each of them regarding the promotion of tourism in the country ; and

(c) whether travel experts will also be taken into confidence while formulating the policy?

THE MINISTER OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU) : (a) to (c) : A statement is laid on the Table of the Sabha.

(a) Yes, Sir. As a long-term policy to promote domestic and international tourism, the objective are to strengthen infrastructural facilities, improve toru.ism product and create a better environment for growth of tourism.

(b) The different Ministries are not only comsulted but their assist-